न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक आर.एन./11–1/आर/81/1993 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 23–12–1992 के द्वारा न्यायालय आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 85/अ–19/1990–91/निगरानी

....

1– मुराद अली तनय श्री शमशेर अली

2– आविद अली

3– जाविद अली

4– हामिद अली, पिता स्व0 अहमद अली
नाबालिग सरपरस्त मां मुस0 कुरैसा बेवा अहमद अली

5– श्रीमती कुरैसा पत्नी स्व0 अहमद अली

7– हरचरण पुत्र रामदास कुशवाह
समस्त निवासी–राजनगर, तह0 राजनगर
जिला– छतरपुर, म0प्र0

.............................आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ....अनावेदक

....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री प्रभात सिंह जादौन, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

....

आदेश

(आज दिनांक 20.10.2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–12–1992 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सर्वे क्रमांक 615, 617, 618, 619, 620, 735, 2110, 2111, 2113, 2115, 2116, 2117, 2118, 2137, 2138, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 97, 98, 99, 508, 509, एवं 5110 कुल किता 31 कुल रकबा 63.47 एकड़ स्थित ग्राम मनिया, तहसील राजनगर, जिला–छतरपुर, म0प्र0 में स्थित है । उक्त विवादित भूमि पर बन्दोबस्त सन् 1939–40 से राजस्व अभिलेख में आवेदक के पिता शमशेर अली का नाम दर्ज चला आ रहा है । सन् 1939 में तहसील न्यायालय द्वारा कुछ भूमियों का पट्टा प्रदान किया गया था । शेष भूमियों पर दिनांक 04.09.1965 को पंजी क्रमांक 4 पर तहसील न्यायालय द्वारा शमशेर अली ने अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दी थी, जो क्रेताओं के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है । शमशेर अली के स्वर्गवास उपरांत शेष बची भूमियां सर्वे क्रमांक 615 रकबा 0.040 सर्वे क्रमांक 617 रकबा 0.765 एवं सर्वे क्रमांक 619/2 रकबा 3.610 है0 का आवेदक मुराद अली के नाम नामांतरण हुआ तथा सर्वे क्रमांक 619/1, 743, 744 एवं 746 पर आवेदक क्र0 2 एवं 3 के नाम नामांतरण हुआ । कलेक्टर द्वारा आवेदकगण को पक्षकार बनाये बिना तथा उन्हें सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25.02.1991 द्वारा उपर्युक्त भूमियां शासकीय घोषित की गई । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी की अनुमति के आवेदन के साथ निगरानी प्रस्तुत की गई थी जो प्रकरण क्रमांक 85/अ–19/90–91/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23.12.1992 द्वारा निगरानी निरस्त की गई । इस आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि सन् 1939 में प्रदत्त पट्टा से लगभग 52 वर्ष पश्चात एवं तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 04.09.1965 से लगभग 26 वर्ष पश्चात स्वमेव पुनरीक्षण शक्यिों का प्रयोग कर आदेश दिनांक 25.02.1991 द्वारा आवेदकगण के स्वत्व की भूमियां शासकीय घोषित नहीं की जा सकती है । न्याय दृष्टांत ए. आइ.आर. 1969 एस.सी. 1297, 1998(1) म0प्र0 वीकली नोट 26 में (उच्चतम न्यायालय), 2010 आर0एन0 409 (उच्च न्यायालय –पूर्ण न्यायपीठ) प्रस्तुत किये । यह भी तर्क किया कि आवेदकगण को पक्षकार बनाये बिना, उन्हें सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना स्वमेव पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर उनके स्वत्व की भूमियां शासकीय घोषित नहीं की जा सकती है । समर्थन में 2011 आर.एन. 273 (उच्च न्यायालय), 2012 आर.एन. 362(उच्च न्यायालय), 2013 आर.एन. 390(उच्च न्यायालय) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये । यह भी तर्क

किया गया कि आयुक्त महोदय के निष्कर्ष है कि आवेदकगण पक्षकार नहीं, अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनाने का आवेदन नहीं किया । इस न्यायालय में आवेदन करने का प्रश्न ही नहीं, इस कारण पुनरीक्षण गृहण योग्य नहीं है । यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण होने से कायम नहीं रखा जा सकता। इस संदर्भ में निम्न न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये। 2001 आर.एन. 170 (उच्च न्यायालय), 2008 आर.एन. 99(उच्च न्यायालय) एवं 1984 आर.एन. 328, यह भी तर्क किया कि जब आवेदकगण को पक्षकार बनाये बिना उनके पीठ पीछे आदेश पारित किया गया है तब परिसीमा का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। समर्थन में 1990 (2) म0प्र0 वीकली नोटस नं0 64 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया । आवेदक अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि कलेक्टर महोदय का आदेश संहिता की धारा 41 के नियम 7 के उल्लंघन में होने से स्थिर नहीं रखा जा सकता। समर्थन में न्याय दृष्टांत 2011 आर.एन. 233, 2014 आर.एन. 138 माननीय उच्च न्यायालय प्रस्तुत किये । आवेदक अधिवक्ता ने यह भी तर्क किये कि कलेक्टर महोदय द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन में होने से कायम नहीं रखा जा सकता। समर्थन में 2009 आर.एन. 347 (उच्च न्यायालय), 2010 आर.एन. 347 (उच्च न्यायालय), 2011 आर.एन. 293 (उच्च न्यायालय), 2011 आर.एन. 358 (उच्च न्यायालय) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये । अंत में तर्क किया कि पुनरीक्षण स्वीकार कर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 23.12.1992 तथा कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.1991 अपास्त किये जाये।

4/ अनावेदक शासन के पैनल अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया कि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमियां बन्दोबस्त 1939–40 से आवेदक के पूर्वजों के नाम चली आ रही थी। तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.1965 द्वारा आवेदकगण के पिता का नामांतरण और तत्पश्चात आवेदकगण के नाम विधिवत नामांतरण आदेश किया गया है। इस आदेश को कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी में लगभग 25 वर्ष पश्चात आदेश दिनांक 25.02.1991 द्वारा निरस्त किया गया । कलेक्टर द्वारा आवेदकगण को सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा आवेदक का पुनरीक्षण अवधि बाह्य होने एवं आवेदक अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार ना होने के आधार पर खारिज किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है, जब आवेदकगण हितबद्ध व्यक्ति को पक्षकार बनाये बिना लगभग 26 वर्ष पश्चात स्वमेव निगरानी शक्तियों का प्रयोग कर आदेश पारित किया गया है, तब आयुक्त द्वारा आवेदकगण का पुनरीक्षण अवधि बाह्य मानकर खारिज करने में त्रुटि की गई है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2010 आर.एन. 409 में यह न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि स्वमेव निगरानी शक्तियां 180 दिन के भीतर प्रयोग किया जा सकता है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोटस 26 में यह न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि एक वर्ष के भीतर स्वमेव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग उचित नहीं है । माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के उपयुक्त न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में यह पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत धारा 41 के नियम 7 तथा धारा 50 के परंतुक के उल्लंघन में होने से भी त्रुटिपूर्ण है जिसे आयुक्त द्वारा पारित आदेश द्वारा स्थिर रखने में त्रुटि की गई है ।

7/ परिणामस्वरूप आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 85/अ–19/90–91 में पारित आदेश दिनांक 23.12.92 एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.1991 निरस्त किये जाते है तथा निगरानी स्वीकार की जाती है एवं तहसील न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि बम्हौरी पार स्थित भूमियां सर्वे क्रमांक 615 रकबा 0.040 है0, सर्वे क्रमांक 617 रकबा 0.765 एवं सर्वे क्रमांक 619/2 रकबा 3.610 है0 पर आवेदक क्रमांक 1 का नामांतरण किया जाये एवं शेष भूमियों पर आवेदक क्रमांक 2 से 5 के नाम नामांतरण किया जावे । प्रकरण दाखिला दर्ज हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर